मूल वाद में डिक्री

(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

उनवान

श्रीमती लीलाबाई पत्नि रामलाल जी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी गोपीखेडा तह0 भदेसर जिला चित्तौड
(राज)

.... वादी

।। बनाम ।।

1. प्रभु पिता सीतारामजी जाति चमार पेशा काश्त आयु वयस्क निवासी गोपीखेडा तह0 भदेसर
2. कैलाश पिता सीतारामजी जाति चमार पेशा काश्त आयु वयस्क निवासी गोपीखेडा तह0 भदेसर
3. प्रहलाद पिता सीतारामजी जाति चमार पेशा काश्त आयु वयस्क निवासी गोपीखेडा तह0 भदेसर
4. शांति पुत्री सीतारामजी जाति चमार पेशा काश्त आयु वयस्क निवासी गोपीखेडा तह0 भदेसर
5. मीरा पुत्री सीतारामजी जाति चमार पेशा काश्त आयु वयस्क निवासी गोपीखेडा तह0 भदेसर
6. कमली बेवा सीतारामजी जाति चमार पेशा काश्त आयु वयस्क निवासी गोपीखेडा तह0 भदेसर
7. उपपंजीयक महोदय भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
8. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर, जिला चित्तौडगढ (राज)

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वास्ते घौषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण सं0 115/2020

वादीगण की और से वकील श्री उदयलाल गायरी एवं प्रतिवादी की ओर से कोई नही उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 25.02..2021 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने वाद वादीया डिक्री किया जाता है कि ग्राम गोपीकाखेडा , तहसील भदेसर, साबिक आराजी नम्बर 196 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी नम्बर 23 रकबा 0.2900 हैक्टेयर में से वा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 से पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 12.06.2012 के माध्यम से क्रय 11 बिस वर्तमान क्षेत्रफल 0.1200हैक्टेयर) भूमि वादीया के खातेदारी की घोषित की जाती है । चूंकि पंजिकृत दस्त की वैधता प्रभावी है किन्तु बेरून मियाद होने नियमानुसार स्टाम्प एक्ट, व नियमों के परिपेक्ष्य पेनाल्टी/सरचार्ज राजकोष में जमा कराने के उपरान्त वादिया के खातेदारी में आराजी दर्ज की जा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 को स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] द किया जाता है कि वादिया द्वारा क्रय भू किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें उसे हस्तान्तरण [illegible] नहीं करें न करावें । खर्चा पक्षक अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 25.02.2021 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:50 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned with CamScanner